गोयल चेरेटीज एसोसिएशन के वित्तीय सहयोग से मुद्रित

मध्यप्रदेश नगर पालिका मोहल्ला समिति

(गठन, कृत्य तथा कामकाज का संचालन)

नियम २०११

सरल प्रस्तुतिकरण

नगर के विकास में सहयोगी लोकशक्ति का मोहल्ला समितियों के
रूप में गठन एवं विकास के विकेन्द्रीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम

प्रकाशक

नगर स्वराज अभियान, इंदौर

मोहल्ला समितियों के निर्माण हेतु
इंदौर के स्वैच्छिक संगठनों, स्वैच्छिक कार्यकर्ताओं एवं जनसंगठनों का साझा अभियान
301, ईशान अपार्टमेंट, 13/2, स्नेहलतागंज, इंदौर - 452003
मो. : 09826011413, 0731-2434934
www.lokswarajabhiyan.org

गठन, कृत्य तथा कामकाज का संचालन

इंदौर में नगर स्वराज अभियान

सफरनामा

इंदौर में नगर स्वराज अभियान की पहली बैठक दिनांक 15 नवंबर 2011 को विसर्जन आश्रम में संपन्न हुई थी, जिसमें इंदौर के चुनिंदा स्वैच्छिक संगठनों के पदाधिकारी तथा जागरूक नागरिक एवं मुंबई के नगर स्वराज अभियान तथा सद्भावना मंच के प्रतिनिधि विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित रहे।

इंदौर के तमाम स्वैच्छिक संगठनों एवं नागरिकों ने मिलकर नगर स्वराज अभियान की प्रक्रिया इस बात के लिए प्रारंभ की, ताकि इंदौर में म.प्र. नगर पालिका मोहल्ला समिति (गठन, कृत्य, शक्तियां तथा संचालन) नियम 2009 एवं संशोधित नियम 2011 के तहत जल्दी से जल्दी इंदौर नगर पालिका निगम में मोहल्ला समितियों के गठन की प्रक्रिया प्रारंभ करें तथा नगर के विकास में जनभागीदारी बढ़े तथा लोग अपने मोहल्ले के प्रबंधन में भागीदार बनें। सहभागी वकास लोगों में हमेशा अच्छा नेतृत्व विकसित करता है।

नगर स्वराज अभियान ने अब तक कई बैठकें आयोजित की, जिनमें जोनल स्वयंसेवक और वार्ड स्वयंसेवकों की भी नियुक्ति की गयी है। ये अपने-अपने मोहल्लों में जाकर मोहल्ला समितियों के गठन में नागरिकों को सहयोग प्रदान करेंगे। नगर स्वराज अभियान मोहल्लों में जाकर वहां के मोहल्ला मंडलों के बीच इस नियम की चर्चा की। नागरिकों को बताया कि नियम बन गये हैं। आप उन नियमों के अनुसार मोहल्ला समिति बनाए एवं नगर निगम में पंजीयन हेतु आवेदन प्रस्तुत करें और अपने-अपने मोहल्लों में शासन की मंशा के अनुरूप मोहल्ला समिति बनाएं। नगर स्वराज अभियान नियम 2011 को एवं पूर्व नियम 2009 को सरलीकृत रूप में लिखकर जनता के बीच पुस्तिका एवं पर्चे के रूप में वितरण का कार्य विगत दो वर्षों से कर रहा है।

नगर स्वराज अभियान ने सभी पार्षदों को पत्र लिखकर इस नियम की प्रतियां भेजी हैं। नगर स्वराज अभियान ने नगर निगम के मेयर इन काउंसिल के संकल्प क्रमांक 80, दिनांक 22-05-2012 एवं प्रमुख सचिव राघव चंद्रा के पत्र क्रमांक 1799, दिनांक 6-07-2009 की याद भी दिलाई तथा क्रमशः दो ज्ञापन 947/7-08-12 एवं 976/28-08-2012 इंदौर के नगर निगम के आयुक्त को दिये, जिसके फलस्वरूप निगम सचिव का पत्र नगर स्वराज अभियान को दिनांक

29-08-12 को प्राप्त हुआ, जिसमें यह कहा गया है, कि मोहल्ला समितियों के गठन के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। इतना होने पर भी मोहल्ला समितियों के पंजीयन का कार्यक्रम आगे नही बढ़ा। दिनांक 23-5-2013 को नगर स्वराज अभियान द्वारा वरिष्ठ अधिवक्ता श्री आनंदमोहन माथुर की अध्यक्षता में इस पूरे प्रकरण की नागरिक सुनवाई भी की गई।

नगर स्वराज अभियान के संयोजक डॉ. तपन भट्टाचार्य के साथ श्रीमती उषा अग्रवाल, श्री किशोर भाई, मेहर खरोडी, डॉ. उषा तिवारी, नूर मोहम्मद कुरैशी, किशोर कोडवानी, सुशीला सेन, नवेंदु महोदय, गेंदालाल राय, राजेंद्र गोयल, अशोक ठाकुर, विट्ठल त्रिवेदी, निर्मला त्रिवेदी, बेला जैन, रीता लहरी, गौतम गांगुली, चंद्रमोहन माहेश्वरी, विनीता तिवारी, रोहित गौर, एस. के. दुबे, प्रियकुमार शर्मा, ओ. पी. पाठक आदि साथीगण मिलकर निगम आयुक्त एवं महापौर से निवेदन करना चाहते हैं, कि चूंकि मध्यप्रदेश सरकार ने नियम बनाकर प्रमुख सचिव के माध्यम से सभी आयुक्तों को आज से दो वर्ष पहले इसकी सूचना भिजवा दी थी एवं इस पर अब हाई कोर्ट ने भी संज्ञान ले लिया है। अतः नगर निगम ने अब की बार गंभीरता से नोडल अधिकारी की नियुक्ति की और काम के विकेन्द्रीकरण के लिए नगर निगम के नोडल कार्यालयों को भी मोहल्ला समितियों के निर्माण में जोड़कर नागरिक सहभागिता की संपूर्ण अवधारणा को आगे बढ़ाया।

हम इस पुस्तिका के माध्यम से आप सभी को अपने-अपने नगर तथा मोहल्लों में मोहल्ला समितियों के गठन हेतु आपकी पहल हो ऐसा अनुरोध करते हैं। समस्याओं के निराकरण के लिए हम सब आपके साथ हैं।

नगर स्वराज अभियान इस पुस्तिका के मुद्र ण के लिए वित्तीय सहयोग देने के लिए गोयल चेरेटीज एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री राजेन्द्र गोयल का हृदय से आभार प्रकट करता है।

इस पुस्तिका को लिखने में मध्यप्रदेश नगर पालिका मोहल्ला समिति (गठन, कृत्य तथा कामकाज का संचालन) नियम 2011 को लेकर विशेष ध्यान रखा गया है, फिर भी अगर किसी प्रकार की गलती अथवा विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है, तो मध्यप्रदेश शासन के नियम को ही अंतिम रूप से मान्यता दी जावेगी अथवा मान्य होगी।

■ **डॉ. तपन भट्टाचार्य**
(संयोजक)
नगर स्वराज अभियान, इंदौर
मो. 9826011413

नगर स्वराज अभियान के मुख्य कार्य

1. प्रबल इच्छाशक्ति और ईमानदारी से इस बारे में जन-चेतना का प्रचार प्रसार करना ताकि लोक स्वराज की दिशा में आगे बढ़ाया जा सके।

2. जिले में मोहल्ला समितियों के गठन को लेकर नागरिकों के बीच में चेतना अभियान की विभिन्न गतिविधियों का संचालन।

3. स्थानीय निकाय, नगर निगम, जिला प्रशासन तथा मध्यप्रदेश शासन के साथ एवं विभिन्न राजनैतिक दलों और उनके पदाधिकारियों तथा चुने हुए प्रतिनिधियों के साथ नगर स्वराज अभियान की सफलता के लिए सम्पर्क कार्यक्रमों का आयोजन।

4. मोहल्ला समितियों के गठन से संबंधित सूचनाओं के एकत्रीकरण तथा विभिन्न विधियों से उसका प्रसारण और प्रचार-प्रसार।

5. मोहल्ला समितियों के गठन, निर्माण एवं उनकी सफलता के लिए विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षणों का निर्माण एवं उनका क्रियान्वयन।

6. जिले के विभिन्न क्षेत्रों में गठित या गठित होने वाले मोहल्ला समितियों में आपसी संपर्क करवाकर अच्छी मोहल्ला समितियों का मॉडल के रूप में अध्ययन करना या करवाना।

7. मोहल्ला समितियों के चुनावों को लेकर आयोग गठन हेतु जन पैरवी।

8. मोहल्ला समितियों के बेहतर प्रबंधन और कार्य हेतु आवश्यक वित्तीय प्रावधानों के लिए जन पैरवी।

मोहल्ला समितियों के विकास के लिए जनपैरवी के मुद्दे

भविष्य में मॉडल बिल से तुलना करके मध्यप्रदेश के बिल में भी निम्नलिखित सुधार करके तदनुरूप व्यवस्था किये जाने की नगर स्वराज अभियान को मांग करना चाहिये।

मॉडल बिल में निचले स्तर पर एरिया सभा है जिसमें 2 या 5 पोलिंग बूथ के नागरिकों जिनकी संख्या 2200 से 5500 तक हो सकती है।

जनपैरवी का मुद्दा

होना यह चाहिये कि प्रत्येक पोलिंग बूथ की एक एरिया सभा हो दूसरे स्तर पर वार्ड समिति हो जिसमें उस वार्ड के सभी एरिया सभा के पदाधिकारियों की समन्वित बैठक हो ताकि समूचे वार्ड में एकता सहयोग भी हो सके और उसका विकास भी होता रहे। स्थानीय पार्षद अपनी-अपनी सभी एरिया सभाओं का संरक्षक हो, उसका सभी के साथ सहयोग, सामंजस्य और समन्वय बना रहे।

म.प्र. के 2011 के नियम में मोहल्ला समितियों के कार्यों की विस्तृत सूची दी गई है। जिससे ये समितियां नगर निगम के कार्यों में योगदान दे सकेगी।

जनपैरवी का मुद्दा

किन्तु इसके बदले में नगर निगम इन्हें धनराशि/आर्थिक सहायता दे ऐसा कोई उल्लेख नहीं है। नगर निगम अपनी आय में से एक निश्चित अंश मोहल्ला समितियों को दे ताकि मोहल्ला समितियां सुचारू रूप से अपना काम कर सके। इस प्रकार की जनपैरवी करना चाहिये।

मोहल्ला समितियों के चुनाव के संबंध में यह कहा गया है कि नागरिकगण नगर निगम के झोनल अधिकारी की उपस्थिति में अपने अपने मोहल्ला समितियों के चुनाव करवाएंगे।

जनपैरवी का मुद्दा

महत्वपूर्ण बात है मोहल्ला समितियों का चुनाव कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत होना चाहिये। निर्वाचन आयोग/राज्य निर्वाचन आयोग अथवा ऐसी ही कोई एजेन्सी हो जिसकी देखरेख में मोहल्ला समितियों के पदाधिकारियों का चुनाव हो। इस हेतु जनपैरवी करना चाहिये।

मोहल्ला समितियों के चुनाव के साथ ही उनके कार्यकाल के बारे में भी एकरूपता के संबंध में स्थिति की स्पष्टता।

जनपैरवी का मुद्दा

प्रबंध समिति का कार्यकाल 4 या 5 वर्ष का होना चाहिये ताकि उन्हें कार्य करने का समय मिल सके और उनके कार्यों का मूल्यांकन हो सके। इस हेतु जनपैरवी करना चाहिये।

नगर स्वराज अभियान

मध्यप्रदेश नगर पालिका मोहल्ला समिति

(गठन, कृत्य तथा कामकाज का संचालन) नियम 2011

नगर के विकास में सहयोगी शक्तियों के विकेन्द्रीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम

भारत के संविधान के 73वें और 74वें संशोधन अधिनियम में शक्तियों का विकेन्द्रीकरण लोक स्वराज की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना गया है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के फलस्वरूप गांवों में ग्राम सभा एवं वर्तमान पंचायत राज व्यवस्था सामने आई। 73वां संविधान संशोधन पूर्ण रूप से हमारे देश के प्रत्येक गांवों में पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने की बात करता है और उसके नियम गांव की व्यवस्था को सम्पूर्ण रूप से विकेन्द्रीकृत एवं सहभागी रूप देते है जिससे गांव का प्रत्येक व्यक्ति अपने गांव के विकास की गतिविधियों में सहभागिता कर सके और अपने जीवनकाल में उसका आनन्द उठा सके।

74वां संविधान संशोधन जो नगर पालिक और नगर निगम आदि से संबंधित है, उसके बारे में अभी बहुत कुछ करना एवं उसके बारे में नागरिक समाज के बीच चेतना फैलाना शेष है। सन् 2006 में भारत सरकार ने नगरों में भी विकेन्द्रीकरण हेतु एक नमूने का नगर राज बिल बनाकर सभी राज्य सरकारों को भेजा इस आशय और आशा से कि विधानसभा अपने-अपने क्षेत्र में ग्राम स्वराज की भांति ही नगर स्वराज की दिशा में जल्द कदम उठाएगी। देश के कुछ राज्यों में कुछ शुरुआत हुई जिसमें महाराष्ट्र, गुजरात, मध्यप्रदेश एवं दिल्ली प्रमुख है।

मध्यप्रदेश नगर पालिका मोहल्ला समिति (गठन, कृत्य तथा कामकाज का संचालन) नियम 2011 एक लम्बी प्रक्रिया के बाद अस्तित्व में आया है। सबसे पहले सन् 2001 में पहला अधिनियम फिर केंद्र शासन के मॉडल अधिनियम को सामने रखते हुए म.प्र. शासन ने नगर राज बिल 2009 पारित किया। तत्पश्चात् इसका भी संशोधित स्वरूप मध्यप्रदेश नगर पालिका मोहल्ला समिति (गठन, कृत्य तथा कामकाज का संचालन) 2011 के रूप में हमारे सामने आया।

साथियों हमने उपरोक्त वर्णित सभी अधिनियमों (बिलों) का गहन अध्ययन किया। उनकी त्रुटियों पर हमने विभिन्न नागरिक समूहों में जाकर चर्चाएं की और नगर में बने हुए विभिन्न प्रकार के रहवासी समितियों में जाकर उनके सदस्यों से भी लगातार विचार विमर्श किये। इस बिल को लेकर लोगों में हमें काफी उत्साहजनक वातावरण प्राप्त हुआ। तब नगर स्वराज अभियान की कोर कमेटी ने यह तय किया कि अब इस बिल को लेकर चेतना फैलाना, पैरवी करना और समितियां बनाने की गतिविधियां लोगों के बीच प्रारंभ की जावें। हमें प्रसन्नता है कि इस अभियान को इंदौर की जनता का बहुत शानदार प्रतिसाद मिल रहा है।

इस पुस्तिका का उद्देश्य इस नये बिल की नागरिक समाज को संक्षिप्त जानकारी देना है ताकि नागरिक समाज यह चर्चा करे कि इस बिल को लागू करने और उसे प्रभावशाली बनाने के लिये हम नागरिकों को क्या-क्या करना चाहिये।

म.प्र. नगर पालिका मोहल्ला समिति (गठन, कृत्य तथा कामकाज का संचालन) नियम 2011 का संक्षिप्त परिचय

म.प्र. नगर पालिका मोहल्ला समिति (गठन, कृत्य तथा कामकाज का संचालन) नियम 2011 का प्रकाशन म.प्र. राजपत्र में 23 फरवरी 2011 को हो चुका है। अतः उक्त तिथि से ये प्रभावशील हो गए हैं।

इस नियम में मोहल्ला की परिभाषा, उसकी साधारण सभा, सभा के पदाधिकारियों का निर्वाचन, कार्यकाल, उनके कार्य शक्तियों आदि का वर्णन है।

इस नियम के अंतर्गत नगरों के लिये स्थानीय सरकार का निम्नलिखित नमूना बनता है।

पिरामिड के रूप में देखें तो :

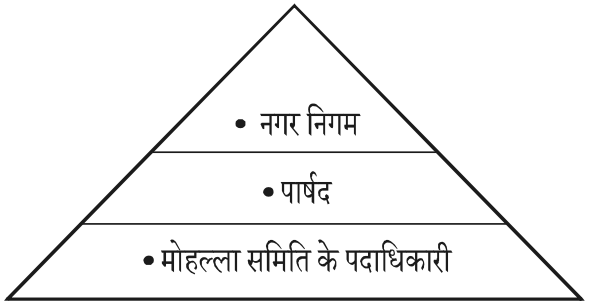

यदि प्रत्येक स्तर पर ईमानदारी से प्रयास हो तो इसके माध्यम से लोक स्वराज की कल्पना साकार करने की दिशा में कदम बढ़ाए जा सकते है।

मोहल्ला की परिभाषा -

मोहल्ले के संबंध में नियम कहता है कि किसी वार्ड में स्थित कोई ऐसी कॉलोनी या आवासीय परिसर अथवा आवासों का संकुल जिसमें स्वतंत्र आावस या फ्लेट हो जहां कम से कम 100 परिवारों का निवास हो। इसका अर्थ हुआ कि उपरोक्त क्षेत्र में जो भौगोलिक रूप से एक दूसरे से जुड़े हो वहां निवास करने वाले कम से कम 100 परिवारों (संख्या अधिक भी हो सकती है) को मोहल्ले के रूप में परिभाषित किया गया है।

मोहल्ला समिति क्या है ?

ऐसे सौ परिवारों (या अधिक) के सदस्य जो मोहल्ले के नागरिक हो (उनकी आयु 18 वर्ष से अधिक हो) अपने मोहल्ले में एक मोहल्ला समिति का गठन कर सकेंगे। अपनी समिति को कोई नाम भी दे सकेंगे।

मोहल्ला समिति के उद्देश्य क्या होंगे?

01. मोहल्ले के निवासियों के सामान्य हित के क्रियाकलापों जैसे कि सुरक्षा व्यवस्था, मार्गों का रख रखाव, स्ट्रीट लाईटिंग, पेयजल की आपूर्ति, अपशिष्ट प्रबंधन, पर्यावरण संरक्षण आदि को हाथ में लेना तथा नगर पालिका द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही सेवाओं की कमियों की ओर उसका ध्यान आकर्षित कराना और उनमें सुधार के लिये उपाय सुझाना।

02. मोहल्ले के निवासियों को नगर पालिका के करों, शुल्क एवं उपभोक्ता प्रभारों का समय पर भुगतान करने के लिये प्रेरित करना।

03. मोहल्ले में नागरिक सुविधाएं स्थापित करने, उनमें वृद्धि करने और उनके अनुरक्षण हेतु नगर पालिका के अलावा विभिन्न सरकारी एवं गैर सरकारी अभिकरणों का सहयोग प्राप्त करना।

04. नगर के विकास की योजनाओं तथा नगर पालिका की सेवाओं के नियोजन और क्रियान्वयन तथा नगर पालिका की सेवाओं के प्रबंधन में नगर पालिका के साथ सहयोग करना।

05. मोहल्ले के निवासियों के बीच पारस्परिक सौहार्द और मैत्री भाव बढ़ाना और इस प्रयोजन के लिये सामाजिक, सांस्कृतिक एवं मनोरंजन से युक्त कार्यक्रमों का आयोजन करना।

मोहल्ला समिति के कार्य -

मोहल्ला समिति द्वारा अपनी प्रबंधकीय तकनीकी वित्तीय एवं संगठनात्मक क्षमता के आधार पर तथा नगर पालिका क्षेत्र में विद्यमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित कार्य की जिम्मेदारी ली जा सकेगी।

01. मोहल्ले के निवासियों के बीच सोहार्द और एकता की भावना को बढ़ाना तथा सांस्कृतिक एवं खेलकूद गतिविधियों का आयोजन करना।

02. मोहल्ले में सुरक्षा प्रबंधों को सुदृढ़ करना।

03. सड़कों और नालियों की मरम्मत व उनका रख रखाव।

04. नगर पालिका द्वारा उपलब्ध करवाई जाने वाली सेवाओं जैसे कि सफाई का प्रबंध, जल प्रदाय, स्ट्रीट लाइटिंग, कचरे का प्रबंधन तथा मोहल्ले में किये जाने वाले निर्माण एवं सुधार कार्यों पर नजर रखते हुए संबंधित अधिकारियों को स्थिति से अवगत कराना और कार्यों में सुधार के संबंध में सुझाव देना।

05. मोहल्ले में स्थित पुस्तकालय, वाचनालय तथा सामुदायिक केंद्रों का अच्छे तरीके से संचालन करना।

06. मोहल्ले में वृक्षारोपण, पर्यावरण संरक्षण तथा प्रदूषण नियंत्रण संबंधी गतिविधियों का

संचालन करना तथा ऐसी गतिविधियों में संलग्न एजेंसियों को सहयोग करना।

07. मोहल्ले में भूजल रिचार्जिंग के लिये समुचित उपाय करना तथा निवासियों को बरसाती पानी के संग्रहण (रेन वाटर हार्वेस्टिंग) के गतिविधियों को अपनाने के लिये प्रेरित करना।

08. मोहल्ले में हो रहे अतिक्रमण तथा अवैध निर्माण के बारे में नगर पालिका को सूचना देना तथा ऐसे निर्माण कार्यों को रोकने तथा हटाने में नगर पालिका को सहयोग देना।

09. मोहल्ले के विभिन्न स्त्रोतों से जिसमें मोहल्ले के निवासी भी सम्मिलित है अंशदान जुटाना।

10. नगर पालिका के करों, शुल्क एवं उपभोक्ता प्रभारों का समय पर भुगतान करने के लिये मोहल्ले के निवासियों को स्मरण कराना और इस संबंध में नगर पालिका से सहयोग करना।

11. अपने मोहल्ले में किसी संक्रामक रोग या प्राकृतिक आपदा की घटना के बारे में नगरपालिका को सूचित करना और उसकी रोकथाम या राहत के उपायों में सहयोग प्रदान करना।

12. मोहल्ले में निवासरत ऐसे व्यक्तियों को चिन्हित करना जो सरकार की हितग्राहीमूलक योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिये पात्र है और ऐसे व्यक्तियों की सूची नगर पालिका अथवा संबंधित शासकीय विभाग को प्रस्तुत करना।

13. नगर पालिका के साथ किये गए अनुबंध या सहमति ज्ञापन के अंतर्गत मोहल्ले में कार्य करना जैसे सदस्यों से उनके द्वारा नगरपालिका को देय करों, शुल्क एवं अन्य प्रभारों का संग्रहण करना। नालियों, सड़कों, उद्यानों, पार्कों, सार्वजनिक नलों, यातायात पार गमनों एवं सामुदायिक भवनों का प्रबंधन करना। मोहल्ले में हो रहे अधोसंरचना के निर्माण, मरम्मत एवं परिवर्तन के कार्यों में सहयोग करना। इसके साथ ही वे सब काम और दायित्व निभाना जो नगर पालिका द्वारा मोहल्ला समिति को सौंपे गए हो।

मोहल्ला समिति के कुछ विशिष्ट कार्य -

01. मोहल्ला समिति का खाता अनुसूचित बैंक में होगा, जिसका संचालन दो पदाधिकारी के हस्ताक्षर से होगा।

02. समिति सदस्यों से सदस्यता शुल्क के रूप में सदस्यों से अंशदान प्राप्त कर सकेगी ।

03. इसके अतिरिक्त जन सहयोग एवं पार्षद व विधायक की स्थानीय निधि से सहायता प्राप्त करना।

04. सदस्यों, पदाधिकारियों द्वारा त्यागपत्र दिया जा सकता है । रिक्तियां भरे जाने का अधिकार साधारण सभा को है।

05. मोहल्ला समिति को प्राप्त समस्त निधियां उसके नाम पर किसी अनुसूचित बैंक में खोले गए खाते में जमा करवाई जावेगी। बैंक खाते का परिचालन अध्यक्ष, सचिव एवं कोषाध्यक्ष में से किन्हीं दो पदाधिकारियों के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जावेगा।

06. मोहल्ला समिति की समस्त चल व अचल सम्पत्ति मोहल्ला समिति के नाम से धारित होगी।

07. मोहल्ला समिति के लिये उसकी ओर से किसी भी सम्पत्ति का क्रय या विक्रय या अर्जन या अंतरण साधारण सभा के बहुमत द्वारा पारित संकल्प के बिना नहीं किया जावेगा।

मोहल्ला समिति को नागरिक सुख सुविधाओं के संचालन और संधारण आदि का दायित्व सौंपा जाना -

01. नगर पालिका अनुबंध या सहमति ज्ञापन के अंतर्गत किसी मोहल्ला समिति को उसके क्षेत्र में, नगर पालिका नागरिक सेवाओं तथा सुख सुविधाओं के संचालन और संधारण, अधोसंरचना कार्यों का संधारण और सुधार नगर पालिका को किसी सम्पत्ति का प्रबंधन अथवा नगर पालिक करों एवं शुल्कों की वसूली का कार्य सौंप सकेगी। परंतु उक्त कार्य ऐसी मोहल्ला समिति को ही सौंपे जाएंगे जिसने नगरपालिका से मान्यता प्राप्त कर ली हो।

02. सौंपे गए किसी कृत्य या दायित्व के निर्वहन की उपेक्षा या व्यतिक्रम करने की दशा में, नगर पालिका अधिकारी द्वारा संबंधित मोहल्ला समिति से स्पष्टीकरण प्राप्त करने और उस पर विचार करने के उपरांत उसके साथ किये गए अनुबंध या सहमति ज्ञापन को रद्द किया जा सकेगा।

मोहल्ला समितियों के प्रति नगर पालिका के कर्तव्य-

नगरपालिका क्षेत्र में गठित मोहल्ला समितियों के प्रति नगरपालिका के निम्नलिखित कर्तव्य होंगे :

01. मोहल्ला समिति के गठन में प्रोत्साहक की भूमिका निभाना और गठन के उपरांत उन्हें स्थानीय स्तर पर नगरपालिक सेवाओं से संबंधित कार्यों में भागीदार बनाना।

02. मोहल्ला समितियों से प्राप्त शिकायतों का तत्परता से निराकरण करना।

03. किसी मोहल्ला समिति के क्षेत्र में या उस वार्ड में जिसमें वह स्थित है वर्ष के दौरान प्रस्तावित कार्यों के संबंध में जानकारी प्रसारित करना।

04. नगरपालिका में वार्ड समिति यदि गठित हो, तो उसके स्तर पर अन्यथा नगरपालिका स्तर पर, मोहल्ला समितियों से प्राप्त प्रस्तावों या सुझावों पर विचार-विमर्श के लिये तथा उनकी समस्याओं के निराकरण करने के लिये प्रत्येक त्रैमासिक में, बारी-बारी से सम्मेलनों का आयोजन करना और उनके प्रस्तावों एवं सुझावों पर की गई कार्यवाही से उन्हें अवगत कराना।

05. मान्यता प्राप्त मोहल्ला समितियों को उनकी स्थिति और क्षमता को ध्यान में रखते हुए,

अनुबंध या सहमति ज्ञापन के आधार पर नियम 7 के खण्ड तेरह में उल्लेखित कृत्यों या दायित्वों को सौंपना और उनके निर्वहन के लिये आवश्यक धनराशि आवंटित करना या आर्थिक सहायता में वृद्धि करना।

06. जन भागीदारी योजना के अंतर्गत स्वीकृत कार्यों के क्रियान्वयन/पर्यवेक्षण में भागीदारों के रूप में मोहल्ला समितियों को सहयुक्त करना।

07. वार्ड स्तर पर सफाई, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, जल प्रदाय, स्ट्रीट लाईटिंग एवं जन सेवा के अन्य क्रियाकलापों के पर्यवेक्षण के लिये नियुक्त अधिकारियों / कर्मचारियों को मोहल्ला समितियों के पदाधिकारियों से निरंतर सम्पर्क बनाए रखने के लिये निर्देश देना।

08. मोहल्ला समितियों को पुरस्कृत करना जिन्होंने किसी विशिष्ठ अवसर पर उत्कृष्ठ कार्य सम्पादित किया हो।

मोहल्ला समिति का प्रादेशिक क्षेत्र क्या है ?

मोहल्ला समिति के प्रादेशिक क्षेत्र से अभिप्राय है वह क्षेत्र जिसके रहवासी मोहल्ला समिति के सदस्य हैं । मोहल्ला नगर पालिका द्वारा परिभाषित क्षेत्र को ही माना जाएगा।

मोहल्ला समिति की सदस्यता -

निम्नलिखित व्यक्ति मोहल्ला समिति के सदस्य होने के पात्र होंगे :

01. जो मोहल्ले का निवासी हो।

02. जो भारत का नागरिक हो और 18 वर्ष से कम आयु का न हो।

03. जो मोहल्ला समिति की उपविधियों का पालन करने के लिये प्रतिबद्ध हो तथा मोहल्ला समिति द्वारा नियत की गई सदस्यता शुल्क का भुगतान करने के लिये सहमत हो।

04. जो किसी अन्य मोहल्लों की मोहल्ला समिति का सदस्य न हो।

05. जो किसी अपराध के लिये दोषसिद्ध न ठहराया गया हो।

नोट - किसी व्यक्ति को सदस्यता प्रदान करने या न करने का निर्णय प्रबंध समिति के पास सुरक्षित रहेगा।

मोहल्ला समिति की सदस्यता की समाप्ति -

त्यागपत्र देने पर, मृत्यु होने पर, किसी न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध ठहराए जाने पर, पागल हो जाने पर, साधारण सभा द्वारा बहुमत से हटाए जाने पर, वार्षिक सदस्यता शुल्क का भुगतान ना करने पर।

मोहल्ला समिति की साधारण सभा किसे कहेंगे ?

मोहल्ला समिति के साधारण सभा से तात्पर्य है कि उस मोहल्ला समिति में कुल शामिल सम्पूर्ण सदस्यों की सभा।

01. मोहल्ला समिति की साधारण सभा की बैठक आवश्यकतानुसार कभी भी की जावेगी। किंतु वर्ष में कम से कम एक बार आवश्यक रूप से आयोजित की ही जावेगी।

02. बैठक के स्थान, तारीख और समय प्रबंध समिति द्वारा निर्धारित किया जायेगा। बैठक की सूचना सचिव द्वारा बैठक की तारीख से कम से कम पन्द्रह दिन पूर्व साधारण सभा के सम्पूर्ण सदस्यों के बीच में घोषित कर दी जावेगी। परंतु आपातकालिन बैठक पांच दिन की पूर्व सूचना पर बुलाई जा सकेगी।

03. साधारण सभा की बैठक के लिये गणपूर्ति सदस्यों की कुल संख्या के 2/5 से होगी। गणपूर्ति के अभाव में बैठक 30 मिनिट के लिये स्थगित कर दी जावेगी और उसी स्थान पर तथा उसी दिन पुनः की जा सकेगी। ऐसी स्थगित बैठक के लिये गणपूर्ति कुल सम्पूर्ण सदस्यों के 1/5 से होगी।

04. मोहल्ले से संबंधित सभी महत्वपूर्ण विषय साधारण सभा के समक्ष प्रबंध समिति द्वारा रखे जाना चाहिये। साधारण सभा द्वारा लिये गए निर्णय अंतिम होंगे और प्रबंध समिति के लिये बंधनकारी भी होंगे।

मोहल्ला समिति की साधारण सभा के कर्तव्य एवं शक्तियां -

01. विषय, जो प्रबंध समिति के द्वारा साधारण सभा के सामने लाए जाए उस पर साधारण सभा को विचार करना होगा।

02. लेखों की संपरीक्षा (ऑडिट) के लिये लेखा संपरीक्षक (ऑडिटर) नियुक्त करना।

03. वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन तथा पूर्ववर्ती वर्ष से संबंधित लेखा संपरीक्षा प्रतिवेदन (ऑडिट रिपोर्ट) पर विचार करना।

04. आगामी वित्तीय वर्ष के लिये प्रस्तुत बजट पर विचार करना और उसका अनुमोदन करना।

05. किसी विशेष प्रयोजन के लिये उपसमिति नियुक्त करना।

06. अध्यक्ष के अनुमोदन से मोहल्ले के विकास या हित से संबंधित किसी अन्य विषय पर विचार करना।

मोहल्ला समिति की प्रबंध समिति किसे कहेंगे ?

प्रबंध समिति से अभिप्रेत है मोहल्ला सभा द्वारा गठित समिति जिसे मोहल्ला समिति के कार्यभार का प्रबंध सौंपा गया हो।

मोहल्ला समिति की प्रबंध समिति में निम्नलिखित पदाधिकारी होंगे :

1. अध्यक्ष, 2. उपाध्यक्ष, 3. सचिव, 4. कोषाध्यक्ष तथा 3 से लेकर 5 सदस्य।

प्रबंध समिति का कार्यकाल -

प्रबंध समिति का कार्यकाल 2 वर्ष होगा। यह समिति जब तक नई समिति का चुनाव न हो अपने पद पर कार्यरत रहेगी परंतु यह अंतरिम अवधि अधिकतम 6 माह की ही होगी।

प्रबंध समिति की शक्तियां एवं कर्तव्य -

मोहल्ला समिति के सभी कार्यों को करना (इस कानून के नियम 7 में मोहल्ला समिति के कार्यों का विस्तार से वर्णन है) जैसे :

01. मोहल्ले के निवासियों में एकता और सोहार्द की भावना बढ़ाना इस हेतु सांस्कृतिक व खेलकूद संबंधी गतिविधियां करना।

02. मोहल्ले में सुरक्षा प्रबंध करना।

03. सड़कों व नालियों का रखरखाव करना।

04. नगर पालिका के जन सेवा के कार्यों में सहयोग करना।

05. पुस्तकालय, वाचनालय, सामुदायिक केंद्रों का संचालन व सुरक्षा करना।

06. वृक्षारोपण, भूजल से रक्षण, पर्यावरण एवं संरक्षण करना।

07. अवैध निर्माण की सूचना निगम को देना।

08. संक्रामक रोग, आपदा की सूचना निगम को देना और निगम के कार्यों में सहयोग देना आदि।

प्रबंध समिति की बैठक -

कम से कम 2 माह में एक बार अवश्य ही प्रबंध समिति की बैठक होगी। आवश्यकता पड़ने पर बैठकें बुलाई जा सकेगी। बैठक के लिये कोरम 50 प्रतिशत सदस्यों का होगा। अर्थात 50 प्रतिशत सदस्यों की उपस्थिति में ही प्रबंध समिति की बैठक आहुत हो पाएगी अन्यथा नहीं।

मोहल्ला समिति का निः शुल्क पंजीयन -

मोहल्ला समिति बनाने के बाद इस समिति के प्रबंध समिति के अधिकारी निर्धारित प्रपत्र में नगर पालिका के नोडल अधिकारी से निःशुल्क पंजीयन प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकेंगे।

मोहल्ला समिति के संरक्षक के रूप में स्थानीय पार्षद -

पार्षद अपने वार्ड में आने वाली सभी समितियों का पदेन संरक्षक सदस्य होगा।

प्रबंध पदाधिकारियों के कर्तव्यों और शक्तियां -

अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष की शक्तियों का वर्णन।

अध्यक्ष -

01. प्रबंध समिति की बैठक के लिये स्थान, तारीख और समय नियत करना तथा साधारण सभा और प्रबंध समिति की बैठकों की अध्यक्षता करना। बैठक में विचार विमर्श किये गए किसी विषय पर समान मत होने की दशा में अध्यक्ष का मत निर्णायक माना जाएगा।

02. मोहल्ला समिति की ओर से कराए जाने वाले अत्यावश्यक स्वरूप के किसी कार्य पर साधारण सभा द्वारा विहित सीमा तक व्यय स्वीकृत करना।

उपाध्यक्ष –

01. अध्यक्ष की अनुपस्थिति में साधारण सभा और प्रबंध समिति की बैठकों की अध्यक्षता करना।

02. अध्यक्ष का पद रिक्त हो जाने की दशा में उस पद को चुनाव द्वारा भरे जाने तक अध्यक्ष के दायित्वों का निर्वहन करना।

सचिव –

01. सदस्यों की सूची संधारित करना।

02. मोहल्ला समिति के लिये सदस्यों से सदस्यता शुल्क अंशदान आदि प्राप्त करना।

03. साधारण सभा तथा प्रबंध समिति की होने वाली बैठकों के लिये सदस्यों को नियमानुसार सूचना भेजना।

04. बैठक की कार्यसूची में सदस्यों से प्राप्त सुझावों एवं शिकायतों एवं अन्य महत्वपूर्ण पत्रों को सम्मिलित करना।

05. साधारण सभा तथा प्रबंध समिति की बैठकों की कार्यवाहियों को कार्यवाही पुस्तिका में नोट करना।

06. मोहल्ला समिति की ओर से समस्त प्रकार के जरूरी पत्राचार करना एवं उनका जवाब देना।

कोषाध्यक्ष –

01. मोहल्ला समिति की आय और व्यय के समस्त हिसाबों का संधारण करना।

02. मोहल्ला समिति की चल-अचल सम्पत्ति पर लगने वाले करों का हिसाब रखना एवं उनका भुगतान करना।

03. प्रबंध समिति, अध्यक्ष अथवा सचिव द्वारा स्वीकृत देयकों का भुगतान करना।

04. मोहल्ला समिति के वार्षिक लेखे तैयार करना तथा उनकी ऑडिट (संपरीक्षा) कराने की कार्यवाही करना।

05. अध्यक्ष, सचिव अथवा ऑडिटर द्वारा मांगे जाने पर समस्त देयक, वाउचर, पावतियां, रोकड़ बही, खाता बही आदि उनके समक्ष प्रस्तुत करना।

नोट – प्रबंध समिति छोटे-मोटे दैनिक व्यय के लिये कोषाध्यक्ष के नियंत्रणाधीन 500 रुपए तक का अग्रिम धन रख सकेगी।

निधियों का प्रबंधन –

मोहल्ला समिति को प्राप्त समस्त निधियां उसके नाम पर किसी अनुसूचित बैंक में उसके खाते में ही जमा करवाए जाएंगे। बैंक खाते का संचालन अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष में से किसी दो पदाधिकारियों के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जाएगा।

सम्पत्ति का स्वामित्व –

मोहल्ला समिति की समस्त चल और अचल सम्पत्ति मोहल्ला समिति के नाम से ही रहेगी। मोहल्ला समिति के लिये या उसकी और से किसी भी सम्पत्ति का क्रय या विक्रय अथवा अर्जन या अंतरण साधारण सभा के बहुमत द्वारा पारित संकल्प के अनुसार ही किया जावेगा परंतु यदि मोहल्ला समिति मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 (क्रं. 44 सन् 1973) अथवा किसी अन्य विधि के अधीन भी रजिस्ट्रीकृत हो तो किसी भी रीति में अर्जन या क्रय या विक्रय या अंतरण सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के बिना नहीं किया जावेगा।

निर्वाचन विधि –

इस समिति का चुनाव सदस्यगण साधारण सभा में हाथ उठाकर अथवा गुप्त मतदान से कर सकेंगे।

त्यागपत्र –

किसी सदस्य या पदाधिकारी का त्यागपत्र प्रबंध समिति के समक्ष रखा जाएगा और उस पर प्रबंध समिति का निर्णय अंतिम होगा।

रिक्तियों का भरा जाना –

प्रबंध समिति के किसी पदाधिकारी के त्यागपत्र मृत्यु आदि के कारण होने वाली रिक्ति, साधारण सभा की अगली बैठक तक प्रबंध समिति द्वारा अपने सदस्यों में से किसी सदस्य से ही भरी जाएगी तथा रिक्त स्थान वाले पदाधिकारी के शेष कार्यकाल के लिये निर्वाचन का प्रस्ताव साधारण सभा की आगामी बैठक में रखा जाएगा।

विघटन –

मोहल्ला समिति साधारण सभा की बैठक में उपस्थित सदस्यों के तीन पंचमास बहुमत से पारित संकल्प द्वारा विघटित की जा सकेगी। विघटन की स्थिति में समिति की चल तथा अचल सम्पत्ति समान उद्देश्य वाली किसी संस्था को सौंप दी जाएगी।

मोहल्ला समिति को मान्यता दिये जाने के लिए नगर पालिका में आवेदन का प्रारूप –1

प्रेषक

सचिव,
.....मोहल्ला समिति,
वार्ड क्र. .....
नगर पालिक निगम/नगरपालिका परिषद् .....

स्थान : .....
दिनांक : .....

प्रति,

आयुक्त/मुख्य नगरपालिका अधिकारी,
नगर पालिक निगम/नगरपालिका परिषद्
जिला .....

विषय : मोहल्ला समिति को मान्यता दिये जाने के लिये आवेदन।

महोदय,

हम उपरोक्त वर्णित मोहल्ला समिति के अधोहस्ताक्षरकर्ता तथा सदस्य हमारी मोहल्ला समिति को नगर पालिक निगम/नगरपालिका परिषद् ..... व्दारा मान्यता दिये जाने के लिये आवेदन प्रस्तुत कर रहे हैं.

2. हमारी समिति के संबंध में आवश्यक विवरण निम्नानुसार है :–

(1) मोहल्ला समिति का नाम : .....
कॉलोनी/सेक्टर .....वार्ड क्र. .....सदस्यों की संख्या .....
मोहल्ले में आवासगृहों की संख्या .....

(2) मोहल्ला समिति का डाक का पता .....
.....

(3) मोहल्ला समिति की प्रबंध समिति के पदाधिकारियों का विवरण :

अनुक्रमांक	नाम (पिता/पति के नाम सहित)	पता	धारित पद	व्यवसाय/पेशा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(1)				
(2)				
(3)				

(4) मोहल्ला समिति के बैंक खाते का विवरण : खाता क्र. .....बैंक . ..... शाखा .....

(5) यदि मोहल्ला समिति को मध्यप्रदेश सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 (क्रमांक 44 सन 1973) अथवा किसी अन्य अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत किया गया हो तो उसका रजिस्ट्रीकरण क्रमांक .....अधिनियम जिसके अधीन पंजीकृत है ....

(6) मोहल्ला समिति की साधारण सभा की प्रथम बैठक के कार्यवाही विवरण की प्रति संलग्न है

(7) मोहल्ला समिति की उपविधियों की प्रति : संलग्न है

(8) मोहल्ला समिति के वर्तमान सदस्यों की सूची की प्रति संलग्न है (पिता/ पति का नाम एवं आवास क्रमांक सहित)

3. निवेदन है कि हमारी मोहल्ला समिति को नगर पालिक निगम/नगरपालिका परिषद् व्दारा मान्यता प्रदान की जाए.

4. हम एतद्व्दारा यह प्रमाणित करते हैं कि उपरोक्त विवरण हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य है.

हस्ताक्षर .....
सचिव
हस्ताक्षर .....
अध्यक्ष

संलग्न :
(1) साधारण सभा की प्रथम बैठक का कार्यवृत्त
(2) सदस्यों की सूची
(3) उपविधियों की प्रति

नगर पालिका द्वारा प्रदान मान्यता प्रमाण–पत्र का प्ररूप –2

(नियम 9 देखिये)

नगर पालिक निगम/नगरपालिका परिषद् .....

क्रमांक ..... दिनांक .....

मान्यता प्रमाण–पत्र

मध्यप्रदेश नगरपालिका मोहल्ला समिति (गठन, कृत्य तथा कामकाज का संचालन) नियम, 2011 के नियम 9 के अधीन नगर पालिक निगम/नगरपालिका परिषद् .... के वार्ड क्रमांक .....में ....के नाम से गठित मोहल्ला समिति को एतद्व्दारा मान्यता प्रदान की जाती है।

मुद्रा

हस्ताक्षर .....

आयुक्त/मुख्य नगरपालिक अधिकारी

नगर पालिक निगम/नगरपालिका परिषद्

.....

जिला .....

मध्यप्रदेश नगर पालिका मोहल्ला समिति (गठन, कृत्य तथा कामकाज का संचालन) नियम 2011

नगर के विकास में सहयोगी शक्तियों के मोहल्ला समितियों के रूप में गठन एवं विकास के विकेन्द्रीकरण की दिशा में प्रस्तावित एक महत्वपूर्ण कदम

यदि प्रत्येक स्तर पर ईमानदारी से प्रयास हो तो इसके माध्यम से लोक स्वराज की कल्पना साकार करने की दिशा में कदम बढ़ाएं जा सकते है।

प्रस्तावित मोहल्ला समिति की उपविधियाँ

प्रकाशक

नगर स्वराज अभियान, इंदौर

(इंदौर के स्वैच्छिक संगठनों, स्वैच्छिक कार्यकर्ताओं एवं जनसंगठनों का साझा अभियान)

301, ईशान अपार्टमेंट, 13/2, स्नेहलतागंज, इंदौर - 452003

मो. : 09826011413, 0731-2434934

मोहल्ला समिति की उपविधियाँ

1. मोहल्ला समिति का नाम .....

2. मोहल्ला समिति का डाक का पता .....

कॉलोनी / सेक्टर ..... वार्ड क्रं.....

.....

3. मोहल्ला समिति का प्रादेशिक क्षेत्र क्या है ?

(मोहल्ला समिति के प्रादेशिक क्षेत्र से अभिप्राय है वह क्षेत्र जिसके रहवासी मोहल्ला समिति के सदस्य है। मोहल्ला नगर पालिका द्वारा परिभाषित क्षेत्र को ही माना जाएगा)

.....

.....

.....

4. मोहल्ला समिति के उद्देश्य

1. मोहल्ले के निवासियों के सामान्य हित के क्रियाकलापों जैसे कि सुरक्षा-व्यवस्था, मार्गों का रख रखाव, स्ट्रीट लाईटिंग, पेयजल की आपूर्ति, अपशिष्ट प्रबंधन, पर्यावरण संरक्षण आदि को हाथ में लेना तथा नगरपालिका द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही सेवाओं की कमियों की ओर उसका ध्यान आकर्षित कराना और उनमें सुधार के लिये उपाय सुझाना।
2. मोहल्ले के निवासियों को नगर पालिका के करों , शुल्क एवं उपभोक्ता प्रभारों का समय पर भुगतान करने के लिये प्रेरित करना।
3. मोहल्ले में नागरिक सुविधाएं स्थापित करने, उनमें वृद्धि करने और उनके अनुरक्षण हेतु नगर पालिका के अलावा विभिन्न सरकारी एवं गैर सरकारी अभिकरणों का सहयोग प्राप्त करना।
4. नगर के विकास की योजनाओं तथा नगर पालिका की सेवाओं के नियोजन और क्रियान्वयन तथा नगर पालिका की सेवाओं के प्रबंधन में नगर पालिका के साथ सहयोग करना।
5. मोहल्ले के निवासियों के बीच पारस्परिक सौहार्द और मैत्री भाव बढ़ाना और इस प्रायोजन के लिये सामाजिक, सांस्कृतिक एवं मनोरंजन से युक्त कार्यक्रमों का आयोजन करना।

5. सदस्यता

निम्नलिखित व्यक्ति मोहल्ला समिति के सदस्य होने के पात्र होंगे -

1. जो मोहल्ले का निवासी हो।
2. जो भारत का नागरिक हो और 18 वर्ष से कम आयु का न हो।
3. जो मोहल्ला समिति की उपविधियों का पालन करने के लिये प्रतिबद्ध हो तथा मोहल्ला समिति द्वारा नियत की गई सदस्यता शुल्क का भुगतान करने के लिये सहमत हो।
4. जो किसी अन्य मोहल्ला समिति का सदस्य ना हो।
5. जो किसी अपराध के लिये दोष सिद्ध न ठहराया गया हो।

नोट : किसी व्यक्ति को सदस्यता प्रदान करने या न करने का निर्णय प्रबंध समिति के पास सुरक्षित रहेगा।

6. सदस्यता की समाप्ति -

त्यागपत्र देने पर, मृत्यु हो जाने पर, किसी न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध ठहराए जाने पर, पागल हो जाने पर, साधारण सभा द्वारा बहुमत से हटाएं जाने पर, वार्षिक सदस्यता शुल्क का भुगतान ना करने पर।

7. मोहल्ला समिति के कार्य -

मोहल्ला समिति द्वारा अपनी प्रबंधकीय, तकनीकी, वित्तीय एवं संगठनात्मक क्षमता के आधार पर तथा नगर पालिका क्षेत्र में विद्यमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित कार्य की जिम्मेदारी ली जा सकेगी ।

1. मोहल्ले के निवासियों के बीच सौहार्द और एकता की भावना को बढ़ाना तथा सांस्कृतिक एवं खेल कूद गतिविधियों का आयोजन करना।

2. मोहल्ले में सुरक्षा प्रबंधों को सुदृढ़ करना।

3. सड़कों और नालियों की मरम्मत व उनका रख रखाव।

4. नगर पालिका द्वारा उपलब्ध करवाई जाने वाली सेवाओं जैसे सफाई का प्रबंधन, जल प्रदाय, स्ट्रीट लाईटिंग, कचरे का प्रबंधन तथा मोहल्ले में किये जाने वाले निर्माण एवं सुधार कार्यों पर नजर रखते हुए संबंधित अधिकारियों को स्थिति से अवगत कराना और कार्यों में सुधार के संबंध में सुझाव देना।

5. मोहल्ले में स्थित पुस्तकालय, वाचनालय तथा सामुदायिक केंद्रों का अच्छे तरीके से संचालन करना।

6. मोहल्ले में वृक्षारोपण, पर्यावरण संरक्षण तथा प्रदूषण नियंत्रण संबंधी गतिविधियों का संचालन करना तथा ऐसी गतिविधियों में संलग्न अन्य एजेंसियों को सहयोग करना।

7. मोहल्ले में भूजल रिचार्जिंग के लिये समुचित उपाय करना तथा निवासियों को बरसाती पानी के संग्रहण (रेन वॉटर हार्वेस्टिंग) के गतिविधियों को अपनाने के लिये प्रेरित करना।

8. मोहल्ले में हो रहे अतिक्रमण तथा अवैध निर्माण के बारे में नगर पालिका को सूचना देना तथा ऐसे निर्माण कार्यों को रोकने तथा हटाने में नगर पालिका को सहयोग देना।

9. मोहल्ले के विभिन्न स्त्रोतों से जिसमें मोहल्ले के निवासी भी सम्मिलित हैं अंशदान जुटाना।

10. नगर पालिका के करों, शुल्क एवं उपभोक्ता प्रभारों का समय पर भुगतान करने के लिये मोहल्ले के निवासियों को स्मरण कराना और इस संबंध में नगर पालिका से सहयोग करना।

11. अपने मोहल्ले में किसी संक्रामक रोग या प्राकृतिक आपदा की घटना के बारे में नगरपालिका को सूचित करना और उसकी रोकथाम या राहत के उपायों में सहयोग प्रदान करना।

12. मोहल्ले में निवासरत ऐसे व्यक्तियों को चिन्हित करना जो सरकार की हितग्राहीमूलक योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिये पात्र है और ऐसे व्यक्तियों की सूची नगरपालिका अथवा संबंधित शासकीय विभाग को प्रस्तुत करना।

13. नगर पालिका के साथ किये गये अनुबंध या सहमति ज्ञापन के अंतर्गत मोहल्ले में कार्य करना जैसे सदस्यों से उनके द्वारा नगरपालिका को देय करों, शुल्क एवं अन्य प्रभारों का संग्रहण करना। नालियों, सड़कों, उद्यानों, पार्कों, सार्वजनिक नलों, यातायात पार गमनों एवं सामुदायिक भवनों का प्रबंधन करना। मोहल्ले में हो रहे अधोसंरचना के निर्माण, मरम्मत एवं परिवर्तन के कार्यों में सहयोग करना। इसके साथ ही वे सब काम और दायित्व निभाना जो नगर पालिका द्वारा मोहल्ला समिति को सौंपे गए हो।

14. कोई अन्य कार्य जो मोहल्ला समिति मय करें।

8. मोहल्ला समिति को नागरिक सुख सुविधाओं के संचालन और संधारण का दायित्व सौंपा जाना -

1. नगर पालिका अनुबंध या सहमति ज्ञापन के अंतर्गत किसी मोहल्ला समिति को उसके क्षेत्र में नगर पालिक नागरिक सेवाओं तथा सुख सुविधाओं के संचालन और संधारण, अधोसंरचना कार्यों का संधारण और सुधार, नगरपालिका की किसी सम्पत्ति का प्रबंधन अथवा नगर पालिक करों एवं शुल्कों की वसूली का कार्य सौंप सकेगी। परंतु उक्त कार्य ऐसी मोहल्ला समिति को ही सौंपे जाएंगे जिसने नगरपालिका से मान्यता प्राप्त कर ली हो।

2. सौंपे गए किसी कृत्य या दायित्व के निर्वहन की उपेक्षा या व्यतिक्रम करने की दशा में, नगरपालिका अधिकारी द्वारा संबंधित मोहल्ला समिति से स्पष्टीकरण प्राप्त करने और उस पर विचार करने के उपरांत उसके साथ किए गए अनुबंध या सहमति ज्ञापन को रद्द किया जा सकेगा।

9. मोहल्ला समिति को मान्यता प्रदान किया जाना

1. नगरपालिका से मान्यता चाहने वाली कोई मोहल्ला समिति नगरपालिका अधिकारी को प्रारूप - 1 में आवेदन प्रस्तुत करेगी।

2. नगरपालिका अधिकारी का यह समाधान हो जाने पर आवेदनकर्ता मोहल्ला समिति को मान्यता प्रदान कर दी जाएगी कि -

(क) उसके प्रादेशिक क्षेत्र का कोई भाग किसी अन्य मोहल्ला समिति के प्रादेशिक क्षेत्र में सम्मिलित नहीं किया गया है।

(ख) उसके क्षेत्र में एक सौ या उससे अधिक परिवार निवासरत हैं, जिनमें से कम से कम 51 निवासियों ने मोहल्ला समिति की सदस्यता ग्रहण कर ली हैं तथा उसके कार्य संचालन के लिए प्रबन्ध समिति गठित कर ली गई है।

(ग) मोहल्ला समिति के गठन, कृत्य और उसके कामकाज के संचालन से संबंधित उपविधियां, इन नियमों के अनुरूप या सदृश हैं।

3. मान्यता प्रदान कर दिए जाने की स्थिति में, नगरपालिका अधिकारी प्रारूप-2 में एक प्रमाणपत्र जारी करेगा, आवेदन के लिये कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।

10. मोहल्ला समितियों के प्रति नगरपालिका के कर्तव्य -

नगरपालिका क्षेत्र में गठित मोहल्ला समितियों के प्रति नगरपालिका के निम्नलिखित कर्तव्य होंगे।

1. मोहल्ला समिति के गठन में प्रोत्साहक की भूमिका निभाना और गठन के उपरांत उन्हें स्थानीय स्तर पर नगरपालिका सेवाओं से संबंधित कार्यों में भागीदार बनाना।
2. मोहल्ला समितियों से प्राप्त शिकायतों का तत्परता से निराकरण करना।
3. किसी मोहल्ला समिति के क्षेत्र में या उस वार्ड में जिसमें कि वह स्थित है वर्ष के दौरान प्रस्तावित कार्यों के संबंध में जानकारी प्रसारित करना।
4. नगरपालिका में 'वार्ड समिति' यदि गठित हो तो उसके स्तर पर अन्यथा नगरपालिका स्तर पर, मोहल्ला समितियों से प्राप्त प्रस्तावों या सुझावों पर विचार-विमर्श के लिये तथा उनकी समस्याओं के निराकरण करने के लिये प्रत्येक त्रैमासिक में बारी-बारी से सम्मेलनों का आयोजन करना और उनके प्रस्तावों एवं सुझावों पर की गई कार्यवाही से उन्हें अवगत कराना।

5. मान्यता प्राप्त मोहल्ला समितियों को उनकी स्थिति और क्षमता को ध्यान में रखते हुए, अनुबंध या सहमति ज्ञापन के आधार पर नियम 7 के खण्ड तेरह में उल्लेखित कृत्यों या दायित्वों को सौंपना और उनके निर्वहन के लिये आवश्यक धनराशि आवंटित करना या आर्थिक सहायता में वृद्धि करना।
6. जन भागीदारी योजना के अंतर्गत स्वीकृत कार्यों के क्रियान्वयन / पर्यवेक्षण में भागीदारी के रूप में मोहल्ला समितियों को सहयुक्त करना।
7. वार्ड स्तर पर सफाई, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, जल प्रदाय, स्ट्रीट लाईटिंग एवं जन सेवा के अन्य क्रियाकलापों के पर्यवेक्षण के लिये नियुक्त अधिकारियों/ कर्मचारियों को मोहल्ला समितियों के पदाधिकारियों से निरंतर सम्पर्क बनाए रखने के लिये निर्देश देना।
8 मोहल्ला समितियों को पुरस्कृत करना जिन्होंने किसी विशिष्ट अवसर पर उत्कृष्ट कार्य सम्पादित किया हो।

11. मोहल्ला समिति की आय के स्रोत -

मोहल्ला समिति की आय के स्त्रोत निम्नलिखित होंगे, अर्थात् -

1. प्रवेश शुल्क तथा वार्षिक सदस्यता शुल्क
2. सामाजिक, सांस्कृतिक एवं मनोरंजन के कार्यक्रम
3. केन्द्र सरकार, राज्य सरकार या नगरपालिका से जनभागीदारी तथा अन्य योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त सहायता।
4. संसद सदस्य, राज्य विधानसभा सदस्य या महापौर/स्थानीय पार्षद से उसकी विवेकाधीन 'स्थानीय विकास निधि' से प्राप्त अंशदान।

12. साधारण सभा-

1. मोहल्ला समिति की साधारण सभा की बैठक आवश्यकतानुसार कभी भी की जावेगी। किंतु वर्ष में कम से कम एक बार आवश्यक रूप से आयोजित की ही जावेगी।
2. बैठक के स्थान, तारीख और समय प्रबंध समिति द्वारा निर्धारित किया जावेगा।

बैठक की सूचना सचिव द्वारा बैठक की तारीख से कम से कम पन्द्रह दिन पूर्व साधारण सभा के सम्पूर्ण सदस्यों के बीच में घोषित कर दी जावेगी। परंतु आपातकालिन बैठक पांच दिन की पूर्व सूचना पर भी बुलाई जा सकेगी।

3. साधारण सभा की बैठक के लिये गणपूर्ति सम्पूर्ण सदस्यों की कुल संख्या के 2/5 से होगी। गणपूर्ति के अभाव में बैठक 30 मिनिट के लिये स्थगित कर दी जावेगी और उसी स्थान पर तथा उसी दिन पुनः की जा सकेगी। ऐसी स्थगित बैठक के लिये गणपूर्ति कुल सम्पूर्ण सदस्यों के 1/5 से होगी।

4 मोहल्ले से संबंधित सभी महत्वपूर्ण विषय साधारण सभा के समक्ष प्रबंध समिति द्वारा रखे जाना चाहिये। साधारण सभा द्वारा किये गए निर्णय अंतिम होंगे और प्रबंध समिति के लिये बंधनकारी भी होंगे।

13. साधारण सभा के कर्तव्य एवं शक्तियां -

1. विषय, जो प्रबंध समिति के द्वारा साधारण सभा के सामने लाए जाए उस पर साधारण सभा को विचार करना होगा।
2. लेखों की संपरीक्षा (ऑडिट) के लिये लेखा संपरीक्षक (ऑडिटर) नियुक्त करना।
3. वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन तथा पूर्ववर्ती वर्ष से संबंधित लेखा संपरीक्षा प्रतिवेदन (ऑडिट रिपोर्ट) पर विचार करना।
4. आगामी वित्तीय वर्ष के लिये प्रस्तुत बजट पर विचार करना और उसका अनुमोदन करना।
5. किसी विशेष प्रयोजन के लिये उपसमिति नियुक्त करना।
6. अध्यक्ष के अनुमोदन से मोहल्ले के विकास या हित से संबंधित किसी अन्य विषय पर विचार करना।

14. प्रबंध समिति -

1. मोहल्ला समिति की प्रबंध समिति में निम्नलिखित पदाधिकारी होंगे।

   1. अध्यक्ष, 2. उपाध्यक्ष, 3. सचिव, 4. कोषाध्यक्ष तथा 3 से लेकर 5 सदस्य

2. प्रबंध समिति के पदाधिकारियों को इस प्रयोजन के लिए विशेष तौर पर बुलाई

गई साधारण सभा की बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा हाथ उठाकर अथवा गुप्त मतदान द्वारा निर्वाचित किया जाएगा। दो उम्मीदवारों के बीच समान मत होने की स्थिति में, मामले का निर्णय सिक्का उछालकर अथवा लॉट (पर्ची) डालकर किया जाएगा। निर्वाचन में केवल वे ही सदस्य मतदान करने के पात्र होंगें, जिन पर कोई सदस्यता शुल्क बकाया न हो।

3. प्रबंध समिति का कार्यकाल 2 वर्ष होगा। परन्तु वह तब तक कार्य करती रहेगी जब तक कि नयी प्रबंध समिति का सम्यक् गठन नहीं हो जाता, तथापि, ऐसी कालावधि 6 माह से अधिक की नहीं होगी और कालावधि के विस्तार के लिये साधारण सभा का अनुमोदन आवश्यक होगा। कार्यकाल की गणना साधारण सभा की उस बैठक की तारीख से की जाएगी, जिसमें प्रबंध समिति के पदाधिकारी निर्वाचित हुए हो।
4. प्रबंध समिति की बैठक जब भी कभी आवश्यक हो तब परन्तु 2 माह में कम से कम एक बार आवश्यक रूप से आयोजित की जाएगी।
5. प्रबंध समिति की बैठक के लिये गणपूर्ति उसके आधे सदस्यों से होगी। गणपूर्ति के अभाव में बैठक 30 मिनट के लिये स्थगित कर दी जाएगी तथा उसी स्थान पर और उसी दिन पुनः आहूत की जाएगी, जिसके लिये गणपूर्ति आवश्यक नहीं होगी।

15. प्रबंध समिति के कर्तव्य एवं शक्तियां -

1. प्रबंध समिति के निम्नलिखित कर्तव्य और शक्तियां होगी, अर्थात् -

   (क) नियम 7 में यथा उल्लेखित मोहल्ला समिति के कृत्यों का निर्वहन करना।

   (ख) अपने क्षेत्र में नागरिक सुख-सुविधाओं में सुधार और उनके विस्तार तथा समस्याओं के निराकरण के लिये नगरपालिका तथा सरकारी विभागों एवं अन्य अभिकरणों से सम्पर्क करना।

   (ग) साधारण सभा द्वारा अनुमोदित प्रस्तावों का क्रियान्वयन करना।

   (घ) मोहल्ला समिति की सभी चल तथा अचल सम्पत्तियों का प्रबंधन, पर्यवेक्षण, नियंत्रण और उनकी देखभाल।

(ड) समिति के कार्य के लिये कर्मचारियों को नियुक्त करना तथा उनका पारिश्रमिक/मानदेय नियत करना।

2. प्रबंध समिति, अध्यक्ष, सचिव या कोषाध्यक्ष की अल्पकालिक अनुपलब्धता की स्थिति में, ऐसे पदाधिकारी के कर्तव्यों के निर्वहन के लिये अपने किसी अन्य सदस्य को प्राधिकृत कर सकेंगी।

16. पदाधिकारियों के कर्तव्य और शक्तियां :

अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष की शक्तियों का वर्णन किया गया है।

अध्यक्ष -

1. प्रबंध समिति की बैठक के लिये स्थान, तारीख और समय नियत करना तथा साधारण सभा और प्रबंध समिति की बैठकों की अध्यक्षता करना। बैठक में विचार-विमर्श किये गए किसी विषय पर समान मत होने की दशा में अध्यक्ष का मत निर्णायक माना जाएगा।
2. मोहल्ला समिति की ओर से कराए जाने वाले अत्यावश्यक स्वरूप के किसी कार्य पर साधारण सभा द्वारा विहित सीमा तक व्यय स्वीकृत करना।

उपाध्यक्ष -

1. अध्यक्ष की अनुपस्थिति में साधारण सभा और प्रबंध समिति की बैठकों की अध्यक्षता करना।
2. अध्यक्ष का पद रिक्त हो जाने की दशा में उस पद को चुनाव द्वारा भरे जाने तक अध्यक्ष के दायित्वों का निर्वहन करना।

सचिव -

1. सदस्यों की सूची संधारित करना।
2. मोहल्ला समिति के लिये सदस्यों से सदस्यता शुल्क अंशदान आदि प्राप्त करना।
3. साधारण सभा तथा प्रबंध समिति की होने वाली बैठकों के लिये सदस्यों को नियमानुसार सूचना भेजना।

4. बैठक की कार्यसूची में सदस्यों से प्राप्त सुझावों एवं शिकायतों एवं अन्य महत्वपूर्ण पत्रों को सम्मिलित करना।
5. साधारण सभा तथा प्रबंध समिति की बैठकों की कार्यवाहियों को कार्यवाही पुस्तिका में नोट करना।
6. मोहल्ला समिति की ओर से समस्त प्रकार के जरूरी पत्राचार करना एवं उनका जवाब देना।

कोषाध्यक्ष -

1. मोहल्ला समिति की आय और व्यय के समस्त हिसाबों का संधारण करना।
2. मोहल्ला समिति की चल-अचल सम्पत्ति पर लगने वाले करों का हिसाब रखना एवं उनका भुगतान करना।
3. प्रबंध समिति, अध्यक्ष अथवा सचिव द्वारा स्वीकृत देयकों का भुगतान करना।
4. मोहल्ला समिति के वार्षिक लेखे तैयार करना तथा उनकी ऑडिट (संपरीक्षा) कराने की कार्यवाही करना।
5. अध्यक्ष, सचिव अथवा ऑडिटर द्वारा मांगे जाने पर समस्त देयक, व्हाउचर, पावतियां, रोकड़ बही, खाता बही आदि उनके समक्ष प्रस्तुत करना।

नोट :प्रबंध समिति छोटे-मोटे दैनिक व्यय के लिये कोषाध्यक्ष के नियंत्रणाधीन 500 रुपए तक का अग्रिम धन रख सकेगी।

17. निधियों का प्रबंधन -

मोहल्ला समिति को प्राप्त समस्त निधियां उसके नाम पर किसी अनुसूचित बैंक में उसके खाते में ही जमा करवाए जाएंगे। बैंक खाते का संचालन अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष में से किसी दो पदाधिकारियों के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जाएगा।

18. विविध -

1- सम्पत्ति का स्वामित्व -

मोहल्ला समिति की समस्त चल और अचल सम्पत्ति मोहल्ला समिति के नाम से ही रहेगी। मोहल्ला समिति के लिये या उसकी ओर से किसी भी सम्पत्ति का क्रय या विक्रय

अथवा अर्जन या अंतरण साधारण सभा के बहुमत द्वारा पारित संकल्प के अनुसार ही किया जावेगा।

परंतु यदि मोहल्ला समिति मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 (क्रं. 44 सन् 1973) अथवा किसी अन्य विधि के अधीन भी रजिस्ट्रीकृत हो तो किसी भी रीति में अर्जन या क्रय या विक्रय या अंतरण सक्षम प्राधिकारी स्वीकृति के बिना नहीं किया जावेगा।

2- त्यागपत्र -

किसी सदस्य या पदाधिकारी का त्यागपत्र प्रबंध समिति के समक्ष रखा जाएगा और उस पर प्रबंध समिति का निर्णय अंतिम होगा।

3- रिक्तियों का भरा जाना -

प्रबंध समिति के किसी पदाधिकारी के त्यागपत्र, मृत्यु आदि के कारण होने वाली रिक्ति, साधारण सभा की अगली बैठक तक प्रबंध समिति द्वारा अपने सदस्यों में से किसी सदस्य से ही भरी जाएगी तथा रिक्त स्थान वाले पदाधिकारी के शेष कार्यकाल के लिये निर्वाचन का प्रस्ताव साधारण सभा की आगामी बैठक में रखा जाएगा।

19. विवाद -

संस्था में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर अध्यक्ष को साधारण सभा के अनुमति से सुलझाने का अधिकार होगा। यदि इस निश्चित या निर्णय से पक्षों को संतोष न हो तो वह रजिस्ट्रार की ओर विवाद के निर्णय के लिए भेज सकेंगे। रजिस्ट्रार का निर्णय अंतिम व सर्वमान्य होगा। संचालित सभाओं के विवाद अथवा प्रबंध समिति के विवाद उत्पन्न होने पर अंतिम निर्णय देने का अधिकार रजिस्ट्रार का होगा।

20. विघटन-

मोहल्ला समिति साधारण सभा की बैठक में उपस्थित सदस्यों के तीन-पंचमास बहुमत से पारित संकल्प द्वारा विघटित की जा सकेगी। विघटन की स्थिति में, समिति

की चल तथा अचल सम्पत्ति समान उद्देश्य वाली किसी संस्था को सौंप दी जाएगी।

नोट : मध्यप्रदेश शासन अगर कोई नया नियम बनाती है या कोई परिवर्तन करती है तो वह नियम या परिवर्तन लागू हो जावेगा।